आरबीआई/विसविवि/2017-18/56
मास्टर निदेश विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.12/06.02.31/2017-18 24 जुलाई 2017
(25 अप्रैल 2018 को अद्यतन)
(29 जुलाई 2022 को अद्यतन)

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया / महोदय,

मास्टर निदेश - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार देने के संबंध में बैंकों को कई अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। संलग्न मास्टर निदेश में इस विषय पर अद्यतन अनुदेश/दिशानिर्देश समाविष्ट किए गए हैं। इस मास्टर निदेश में समेकित परिपत्रों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

भवदीया

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार] - निदेश, 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट किए गए निदेश जारी करता है।

अध्याय - I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

क) ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार] - निदेश, 2017 कहलाएंगे।
ख) ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर रखे जाने के दिन से प्रभावी होंगे।

1.2 प्रयोज्यता

इन निदेशों के उपबंध सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर} पर लागू होंगे।

1.3 परिभाषा/ स्पष्टीकरण

इन निदेशों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, दिए गए शब्दों (टर्म्स) के अर्थ वही होंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं:

क) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 का अर्थ हैं 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006' जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जून 2006 को अधिसूचित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा उसमें समय-समय पर किया गया संशोधन, यदि कोई हो।

ख) 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' का तात्पर्य एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित उद्यमों से है तथा भारत सरकार द्वारा उसमें समय-समय पर किया गया संशोधन, यदि कोई हो।

ग) 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' का अर्थ है वे क्षेत्र जो दिनांक 4 सितंबर 2020 के मास्टर निदेश - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण, समय-समय पर अद्यतन, में निर्दिष्ट किए गए है।

घ) 'समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)' का वही अर्थ होगा जो दिनांक 4 सितंबर 2020 के मास्टर निदेश - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण, समय-समय पर अद्यतन, में दिया गया है।

अध्याय - II

2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006

2.1 दिनांक 26 जून 2020 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2119 (ई) के अनुसार, एक उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर मे विनिधान 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;

ii) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर मे विनिधान 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; तथा

iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर मे विनिधान 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

2.2 उपरोक्त सभी उद्यमों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना और 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त करना आवश्यक है।

2.3 खुदरा और थोक व्यापार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के सीमित उद्देश्य के लिए एमएसएमई के रूप में शामिल किया गया है और उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति है।

2.4 वर्गीकरण के लिए विनिधान और आवर्तन के संबंध में सम्मिश्र मापदंड

i) किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में वर्गीकरण के लिए विनिधान और आवर्तन का एक सम्मिश्र मापदंड लागू होगा।

ii) यदि कोई उद्यम अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए विनिधान या आवर्तन के दोनों मापदंड में से किसी एक की अधिकतम सीमा को पार करता है, तो वह उस श्रेणी में अस्तित्वहीन हो जाएगा तथा उसे अगली उच्चतर श्रेणी में रखा जाएगा किंतु किसी भी उद्यम को तब तक निम्नतर श्रेणी में नहीं रखा जाएगा जब तक वह विनिधान तथा आवर्तन के दोनों मापदंडों में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट सीमा के नीचे नहीं चला जाता हो।

iii) वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) सहित सभी इकाइयां, जिन्हें समान स्थाई खाता संख्या (पैन) के लिए सूचीबद्ध किया गया है, को सामूहिक रूप से एक उद्यम के रूप में माना जाएगा और ऐसी सभी इकाइयों के लिए विनिधान और आवर्तन संबंधी आंकड़ों पर सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाएगा तथा सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में श्रेणी का विनिश्चय करने के लिए केवल कुल मूल्य पर विचार किया जाएगा।

2.5 संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान की गणना

i) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान की गणना को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत फाइल किए गए पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) से जोड़ा जाएगा। उद्यम पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म प्रासंगिक पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मूल्यह्रास लागत को कैपचर करता है। अत: दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2119 (ई) और सभी उद्यमों के लिए आयकर अधिनियम में परिभाषित वित्तीय वर्ष के अंत में अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) का अर्थ होगा।

ii) नए उद्यम की दशा में, जहां कोई पूर्व आईटीआर उपलब्ध नहीं है, वहां उद्यम के संप्रवर्तक के स्व-घोषणा के आधार पर विनिधान किया जाएगा और ऐसी छूट उस वित्त वर्ष में 31 मार्च के पश्चात समाप्त हो जाएगी जिसमें वह उद्यम अपना पहला आईटीआर फाइल करता है।

iii) उद्यम के ''संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर'' का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विरचित आयकर नियम, 1962 में संयंत्र और मशीनरी में उसका है और इसमें सभी मूर्त आस्तियाँ (भूमि और भवन, फर्नीचर और फिटिंग से भिन्न) शामिल होंगी।

iv) यदि उद्यम बिना किसी आईटीआर का नया है, तो संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर की खरीद (इनवॉइस) मूल्य, चाहे पहली बार या दूसरी बार खरीदा गया हो, माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, स्व-प्रकटीकरण के आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

v) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण I में निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं की लागत को संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की राशि की गणना से बाहर रखा जाएगा।

2.6 आवर्तन की गणना

i) वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए कोई उद्यम, चाहे वह सूक्ष्म, लघु या मध्यम हो, के आवर्तन की गणना करते समय माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात को बाहर रखा जाएगा।

ii) उद्यम के लिए आवर्तन और निर्यात आवर्तन के संबंध में जानकारी आयकर अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम) और जीएसटीआईएन से संबद्ध होगी।

iii) ऐसे उद्यम के आवर्तन संबंधी आंकड़े, जिनके पास पैन नहीं है, को 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए स्व-घोषणा के आधार पर माना जाएगा और उसके पश्चात, पैन और जीएसटीआईएन अनिवार्य होगा।

2.7 उच्चतर/निम्नतर प्रवासन के मामले में उद्यमों का वर्गीकरण

संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान या आवर्तन अथवा दोनों में उच्चतर परिवर्तन तथा परिणामस्वरूप पुनः वर्गीकरण की स्थिति में उद्यम रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के समाप्त होने से लेकर एक वर्ष की समाप्ति तक अपने वर्तमान स्तर को बरकरार रखेगा। किसी उद्यम के क्रमिक ह्रास की स्थिति में, चाहे वह पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप हुआ हो या संयंत्र और मशीनरी अथवा

उपस्कर में विनिधान या आवर्तन में वास्तविक परिवर्तन अथवा दोनों के कारण हुआ हो तथा चाहे उद्यम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, उद्यम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अपनी वर्तमान श्रेणी में बना रहेगा तथा उसे ऐसे परिवर्तन वाले वर्ष के पश्चात के वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से परिवर्तित स्तर का लाभ प्रदान किया जाएगा। उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण, शिकायत निवारण, आदि से संबंधित अन्य पहलुओं का उल्लेख दिनांक 26 जून 2020 के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2119(ई), में किया गया है।

अध्याय - III

3 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने हेतु लक्ष्य/उप-लक्ष्य

3.1 एमएसएमई क्षेत्र हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशानिर्देश

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों का पालन करेंगे और संबंधित पहलुओं जैसा कि दिनांक 4 सितंबर 2020 के मास्टर निदेश - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण, समय-समय पर अद्यतन, में निर्धारित किया गया है।

3.2 एमएसएमई पर प्रधान मंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को निम्नलिखित को प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाता है :

(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण में 20 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि,

(ii) सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और

(iii) पिछले वर्ष के तदनुरूपी तिमाही के अनुरूप सूक्ष्म उद्यमों को एमएसई क्षेत्र के कुल उधार का 60 प्रतिशत

अध्याय - IV

4. एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश/अनुदेश

4.1 एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदनपत्रों की प्राप्ति सूचना जारी करना

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एमएसएमई उधारकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए सभी ऋण आवेदनपत्रों की प्राप्ति सूचना अनिवार्य रूप से दें तथा यह सुनिश्चित करें कि आवेदन फॉर्म साथ ही साथ प्राप्ति सूचना रसीद पर रनिंग क्रम संख्या दर्ज की जाती है। साथ ही, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऋण आवेदनपत्रों की केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली, ऋण आवेदनपत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रणाली तथा ऋण आवेदनपत्रों की ऑनलाइन ई-ट्रैकिंग की प्रणाली विकसित करें।

4.2 संपार्श्विक

बैंकों को आदेश दिया गया है कि एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को ₹10 लाख तक दिए गए ऋणों के मामलों में संपार्श्विक जमानत स्वीकार न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि केवीआईसी द्वारा संचालित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तपोषित सभी इकाइयों को ₹10 लाख तक संपार्श्विक-रहित ऋण प्रदान किया जाए। एमएसई इकाइयों का अच्छा ट्रैक रिकार्ड तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक (उचित प्राधिकारी के अनुमोदन से) ₹25 लाख तक के ऋण हेतु संपार्श्विक अपेक्षाओं में छूट की सीमा को बढ़ा सकते हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने शाखा स्तरीय पदाधिकारियों को ऋण गारंटी योजना कवर का उपभोग कराने हेतु प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें तथा इस सबंध में कार्य-निष्पादन को उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में मापदंड के रूप में शामिल करें।

4.3 सम्मिश्र ऋण

बैंकों द्वारा ₹1 करोड़ तक की सम्मिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है ताकि एमएसई उद्यमी एक ही स्थान पर अपनी कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण अपेक्षा प्राप्त कर सके।

4.4 संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना

समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र दिशा-निर्देशों के भीतर सभी उत्पादक गतिविधियों के लिए उच्चतर ऋण संबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जीसीसी योजना की व्याप्ति को बढ़ाने और बैंकों द्वारा कृषितर उद्यमी गतिविधि के लिए व्यक्तियों को दिए गए समस्त क्रेडिट को कैप्चर करने की दृष्टि से जीसीसी दिशा-निर्देशों को 2 दिसंबर 2013 को संशोधित किया गया था।

4.5 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके 'जीवन चक्र' के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए ऋण प्रवाह का सरलीकरण

वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके 'जीवन चक्र' के दौरान समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए, बैंकों को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 अगस्त 2015 के परिपत्र विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.60/06.02.31/2015-16 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एमएसई क्षेत्र से संबंधित अपने मौजूदा उधार नीतियों में निम्नलिखित प्रावधानों को समाहित करते हुए उसकी समीक्षा कर उसे अनुरूप बनाएं ताकि अर्थक्षम एमएसई उधारकर्ताओं को, खासतौर पर अनपेक्षित परिस्थितियों में निधि की आवश्यकता के दौरान, समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके:

i) मीयादी ऋणों के मामले में अतिरिक्त ऋण सुविधा का विस्तार

ii) एमएसई इकाइयों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त कार्यशील पूंजी

iii) ऐसे मामलों में पिछले वर्ष की वास्तविक बिक्री के आधार पर प्रति वर्ष नियमित कार्यशील पूंजी सीमा की मध्यावधि समीक्षा जहां बैंक आश्वस्त हो कि एमएसई उधारकर्ताओं की मांग के स्वरूप में परिवर्तनों के लिए एमएसएमई की मौजूदा उधार की सीमा बढ़ाना आवश्यक है।

iv) ऋण निर्णयों के लिए सामयिकता

4.6 एमएसएमई हेतु ऋण पुनर्संरचना तंत्र

i) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एमएसएमई से संबंधित ऋण पुनर्संरचना पर दिशानिर्देशों/अनुदेशों का पालन करें, जो 'मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड', समय-समय पर अद्यतन, में निहित हैं।

ii) साथ ही, सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 4 मई 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई. एंड एनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निम्न कार्य करें:

क) निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण सुविधाएं प्रदान करने की नियंत्रक ऋण नीति, संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों/ उद्यमों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्संरचना/ पुनर्वास नीति (अब इसे दिनांक 17 मार्च 2016 को 'सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा' पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाए) तथा एमएसई क्षेत्र के लिए अनर्जक ऋण की वसूली के लिए नॉन-डिसक्रीशनरी एकबारगी निपटान योजना लागू करें तथा

ख) बैंक उनके द्वारा कार्यान्वित एकबारगी निपटान योजना बैंक की वेबसाइट पर डालकर तथा अन्य संभावित प्रचार विधि के माध्यम से उसका प्रचार करें। वे उधारकर्ताओं को आवेदन प्रस्तुत करने तथा देय राशि की चुकौती करने के लिए भी पर्याप्त समय दें ताकि पात्र उधारकर्ताओं को योजना के लाभ प्रदान किए जा सकें।

ग) एमएसई क्षेत्र को समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

4.7 एमएसएमई के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा

सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 29 मई 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खातों में दबाव दूर करने के लिए सरल और त्वरित प्रणाली उपलब्ध कराने तथा एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुसाध्य बनाने के लिए 'सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा' अधिसूचित किया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण' पर बैंकों को जारी वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने के लिए उपर्युक्त ढांचे में भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए कतिपय परिवर्तन करने के बाद दिनांक 17 मार्च 2016 को उक्त ढांचे पर परिचालनात्मक अनुदेशों के साथ बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस ढांचे के अंतर्गत ₹25 करोड़ तक की ऋण सीमा वाली एमएसएमई इकाइयों

के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास पर कार्य किया जाएगा। इस संशोधित ढांचे से रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों के पुनर्वास पर दिनांक 1 नवंबर 2012 को जारी हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.कैंका.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.40/06.02.31/2012-13 में निहित पूर्ववर्ती दिशा-निर्देश, उक्त परिपत्र में संभाव्य रूप से अर्थक्षम इकाइयों के पुनर्वास और एकबारगी निपटान के लिए राहत और रियायतों से संबंधित दिशा-निर्देशों को छोड़कर, अधिक्रमित हुए हैं।

ढांचे की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i) एमएसएमई के ऋण खाता अनर्जक आस्ति (एनपीए) में परिवर्तित होने से पूर्व, बैंकों या ऋणदाताओं को चाहिए कि वे विशेष उल्लिखित खाते (एसएमए) के अधीन तीन उप-श्रेणियाँ, जैसा कि ढांचा में दिया गया है, सृजित कर खाते में आरंभिक दबाव की पहचान करें।

ii) इस ढांचे के तहत कोई भी एमएसएमई उधारकर्ता स्वेच्छा से कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।

iii) सुधारात्मक कार्य योजना के निर्णय हेतु समिति दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

iv) ढांचे के अंतर्गत विभिन्न निर्णय लेने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

4.8 एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि पर निगरानी के लिए संरचित तंत्र

एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण की वृद्धि में कमी के कारण उत्पन्न चिंताओं को देखते हुए, इस क्षेत्र में ऋण संबंधी सभी मुद्दों की निगरानी के लिए बैंकों द्वारा सुनियोजित कार्यविधि का सुझाव देने के लिए भारतीय बैंक संघ की अगुवाई में एक उप-समिति (अध्यक्ष: श्री के.आर.कामथ) गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को सूचित किया गया है कि:

- इस क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि पर निगरानी के लिए वर्तमान प्रणालियों को सुदृढ़ करें और प्रत्येक पर्यवेक्षी स्तर (शाखा, क्षेत्र, अंचल, प्रधान कार्यालय) पर व्यापक निष्पादन प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करें जिसका नियमित आधार पर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया जाए;
- बैंकों में ऋण आवेदन निपटान प्रक्रिया की निगरानी तथा एमएसई ऋण आवेदन की ई-ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित की जाए, जिसमें शाखा-वार, क्षेत्र-वार, अंचल-वार और राज्य-वार स्थिति दी जाए। इस संबंध में, स्थिति को बैंकों द्वारा उनकी वेबसाइट पर दिखाया जाए, और

दिनांक 9 मई 2013 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.74/06.02.31/2012-13 द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

अध्याय - V

5 संस्थागत व्यवस्थाएँ

5.1 एमएसएमई की विशेषीकृत शाखाएं

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत शाखा खोलें। साथ ही, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे एमएसएमई क्षेत्र को 60 प्रतिशत या उससे अधिक अग्रिम देने वाली अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि वे समग्र रूप से इस क्षेत्र को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु और अधिक विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं खोल सकें। एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित पॉलिसी पैकेज के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु उद्यमों की अधिकता वाले पहचाने गये समूहों/ केन्द्रों में विशेषीकृत एमएसएमई शाखाएं सुनिश्चित करेंगे ताकि उद्यमी आसानी से बैंक ऋण ले सकें तथा बैंक कार्मिक आवश्यक विशेषज्ञता विकसित कर सकें। हालांकि उनकी महत्वपूर्ण क्षमता का उपयोग एमएसएमई क्षेत्र को वित्त और अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु किया जाएगा, पर उनके पास अन्य क्षेत्रों/ उधारकर्ताओं को वित्त/ अन्य सेवाएं प्रदान करने का परिचालनात्मक लचीलापन भी रहेगा। बैंक, ऐसी शाखाओं में तैनात अधिकारियों के लिए उचित प्रशिक्षण का ध्यान रखें।

5.2 माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए अधिकार-प्राप्त समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में यूनियन वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर अधिकार-प्राप्त समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक के प्रतिनिधि, दो बैंकों, जिनका राज्य में माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम को वित्तपोषण में सर्वाधिक हिस्सा हो, के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सिडबी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के एमएसएमई या उद्योग के निदेशक, राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघ के एक या दो वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि तथा एसएफसी/एसआईडीसी से एक वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं। इस समिति की बैठक आवधिक रूप से होगी तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के वित्तपोषण में हुई प्रगति और तनावग्रस्त माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के पुनर्वास और पुनरुज्जीवन की भी समीक्षा करेगी। यह क्षेत्र को सहज ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, के निवारण हेतु अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकार के साथ समन्वय करेगी। ये समितियां समूह/जिला स्तर पर ऐसी ही समितियां गठित करने की आवश्यकता का निर्णय ले सकती है।

5.3 भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बीसीएसबीआई ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सदस्य बैंकों के सहयोग से 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति बैंक के प्रतिबद्धता कोड' विकसित किये है - जो सदस्य बैंकों के अनुपालन हेतु, जब वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ व्यवसाय कर रहे हों, के लिए बैंकिंग प्रथाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करती है। कोड (संहिता) का उद्देश्य बेहतर बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना, सदस्यों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना, पारदर्शिता बढ़ाना, उच्च परिचालन मानकों को प्राप्त करना और सबसे महत्वपूर्ण, एक सौहार्दपूर्ण बैंकर-ग्राहक संबंध को बढ़ावा देना है जो बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को मजबूत करेगा। कोड (संहिता) किसी उत्पाद या सेवा को बेचने से पहले पारदर्शिता और ग्राहक को पूरी जानकारी प्रदान करने पर बहुत बल देता है। सबसे महत्वपूर्ण, बीसीएसबीआई के सदस्य बैंकों ने स्वेच्छा से कार्यान्वयन के लिए कोड (संहिता) को अपनाया है। चूंकि, बीसीएसबीआई ने

उसके विघटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, फिर भी बैंक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति बैंक के प्रतिबद्धता कोड के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना जारी रख सकते हैं।

5.4 माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र - वित्तीय साक्षरता और परामर्शी सहायता की अनिवार्यता

एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय वंचन (एक्सक्लूजन) के काफी अधिक परिमाण को देखते हुए बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त वंचित यूनिटों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के भीतर लाया जाए। लेखाकरण तथा वित्त, कारोबारी आयोजना आदि सहित वित्तीय साक्षरता, परिचालनगत कौशल का अभाव एमएसई के उधारकर्ताओं के लिए कठिन चुनौती बनी है, जिसके कारण इन जटिल वित्तीय क्षेत्रों में बैंकों द्वारा सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत अधोरेखित हो जाती है। साथ ही साथ, एमएसई उद्यम माप (स्केल) एवं आकार के अभाव के कारण इस संबंध में और असहाय बन जाते हैं। इन कमियों को कारगर ढंग से तथा निर्णायक रूप से दूर करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 1 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सं.एमएसएमई एण्ड एनएफएस. बीसी.20/06.02.31/2012-13 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक या तो अपनी शाखाओं में अपनी तुलनात्मक सुविधानुसार अलग से विशेष कक्ष स्थापित करें अथवा उनके द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों में इसके लिए अलग कार्य मद (वर्टिकल) बनाएं। इस क्षेत्र की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने के लिए बैंक के स्टाफ को भी अनुकूलित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाए। साथ ही, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संचालित वित्तीय साक्षरता केंद्रों को दिनांक 02 मार्च 2017 के हमारे परिपत्र विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17 द्वारा सूचित किया गया है कि वे, ऐसे स्थान पर जहां लघु उद्यमी एक लक्ष्य समूह है, लक्ष्य विशेष वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन करें।

5.5 समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण

सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहचाने गए समूहों की ऋण आवश्यकताओं को दर्ज करें। साथ ही, उन्हें ऐसे क्लस्टरों/समुदायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है जो नवनिर्मित हैं तथा जिन्हें एसएलबीसी/डीसीसी सदस्यों द्वारा बाद में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(i) गांगुली समिति की सिफारिशों (4 सितंबर 2004) के अनुसार, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 4 - C दृष्टिकोण अपनाकर - अर्थात् ग्राहक फोकस (Customer focus), लागत नियंत्रण (Cost control), प्रति बिक्री (Cross selling) तथा जोखिम रोकथाम (Contain risk) - पहचाने गए एमएसई समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से एसएसआई क्षेत्र (अब एमएसई क्षेत्र) की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण-सेवा दृष्टिकोण प्राप्त करें। उधार हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण निम्नलिखित में अधिक लाभकारी होगा:

क. सुपरिभाषित तथा मान्यता-प्राप्त समूहों से संव्यवहार;
ख. जोखिम निर्धारण हेतु उपयुक्त जानकारी की उपलब्धता; तथा
ग. उधारदाता संस्थानों द्वारा निगरानी।

समूहों को व्यापार रिकार्ड, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा वृद्धि संभावनाओं और/ या अन्य समूह विशिष्ट डेटा के आधार पर पहचाना जा सकता है।

(ii) सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को दिनांक 8 मई 2007 के पत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस.सं.10416/06.02.31/2006-07 द्वारा सूचित किया गया था कि वे एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने हेतु अपने संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करें, विशेषकर देश के विभिन्न भागों में 21 राज्यों में फैले 388 समूहों में जो युनाइटेड नेशन औद्योगिक विकास संघ (यूएनआईडीओ) द्वारा पहचाने गए हैं। यूएनआईडीओ द्वारा पहचाने गए एसएमई समूहों की सूची अनुबंध I में दी गई है।

(iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) तथा माइक्रो एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित समूहों की सूची अनुमोदित की है। तदनुसार, देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों में से माइक्रो और लघु उद्यमियों के पहचाने गए समूहों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उचित उपाय किये गये हैं।

(iv) एमएसएमई पर प्रधान मंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार बैंकों को विभिन्न एमएसई समूहों में एमएसई केन्द्रित अधिक शाखा कार्यालय खोलने चाहिए जो एमएसई के लिए परामर्श केन्द्रों के रूप में भी कार्य कर सकें। जिले के प्रत्येक अग्रणी बैंक द्वारा कम से कम एक एमएसई समूह को अपनाया जाए।

5.6 विलंबित भुगतान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 में लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1998 के प्रावधानों को मजबूत किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

(i) क्रेता को उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप में सहमत तारीख को या उससे पूर्व आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना होगा और यदि कोई करार नहीं हुआ हो तो नियत दिन से पूर्व भुगतान करना होगा। आपूर्तिकर्ता और क्रेता के बीच की सहमत अवधि स्वीकरण की तारीख अथवा माने गए स्वीकरण की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों से अधिक नहीं होगी।

(ii) यदि क्रेता आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान नहीं कर पाया तो वह राशि पर नियत दिन या निर्धारित तारीख से रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना चक्रवृद्धी ब्याज, मासिक आधार पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

(iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति या दी गई सेवा के लिए क्रेता उक्त (ii) में सूचित ब्याज के भुगतान हेतु बाध्य होगा।

(iv) देय राशि में विवाद होने पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा सेवा परिषद से संपर्क किया जाएगा।

साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विशेषतः एमएसएमई से खरीद से संबंधित भुगतान बाध्यता की पूर्ति हेतु बड़े उधारकर्ताओं के लिए समग्र कार्यकारी पूंजी सीमाओं के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित करें।

अध्याय - VI

6. माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए समितियां

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एमएसई को उधार प्रदान करते समय निम्नलिखित परिपत्रों में दी गई विषय वस्तु द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं:

6.1 लघु उद्योग (अब एमएसई) को ऋण पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (कपूर समिति)

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 28 अगस्त 1998 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएनएफएस. बीसी.सं.22/06.02.31/98-99 द्वारा कपूर समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु सूचित किया गया है।

6.2 लघु उद्योग क्षेत्र (अब एमएसई) को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित पहलुओं की जाँच हेतु समिति की रिपोर्ट (नायक समिति)

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 2 मार्च 2001 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस/बीसी.सं.61/06.02.62/2000-01 द्वारा नायक समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु सूचित किया गया है।

6.3 लघु उद्योग (अब एमएसई) क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट (गांगुली समिति)

बैंकों को, समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु दिनांक 4 सितंबर 2004 के परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.28/06.02.31(डब्ल्यूजी)/2004-05 द्वारा सूचित किया गया है।

6.4 रुग्ण एसएमई के पुनर्वास पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष: डॉ. के.सी.चक्रवर्ती)

बैंकों को 4 मई 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 द्वारा सूचित किया गया था कि वे अन्य बातों के साथ-साथ ₹2 करोड़ तक के सभी अग्रिमों के मामले में स्कोरिंग मॉडल के आधार पर उधार देने संबंधी सिफारिशों को लागू करने पर विचार करें।

6.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर प्रधान मंत्री का टास्क फोर्स

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) द्वारा उठाए विभिन्न मामलों पर विचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा जनवरी 2010 में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (अध्यक्ष: श्री टी.के.ए.नायर) गठित किया गया था। टास्क फोर्स ने एमएसएमई के कार्य अर्थात् ऋण, विपणन, श्रम, निकास नीति, मूलभूत सुविधाएं/ प्रौद्योगिकी/ कौशल उन्नयन तथा कर-निर्धारण से संबंधित विभिन्न उपायों की सिफारिश की। व्यापक सिफारिशों में वे उपाय जिन पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तथा विधि और विनियामक ढांचे सहित मध्यावधि संस्थागत उपाय भी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

बैंकों को टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर एमएसई क्षेत्र, विशेषतः सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए आग्रह किया जाता है। एमएसएमई पर प्रधान मंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के कार्यान्वयन की सूचना देते हुए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 29 जून 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि. एसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.90/06.02.31/2009-10 जारी किया गया था।

6.6 सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने हेतु कार्यकारी दल

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के कार्य की समीक्षा करने, उसके प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाने तथा एमएसई को संपार्श्विक रहित ऋण में वृद्धि को सुगम बनाने हेतु श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया था। कार्यकारी दल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को संपार्श्विक रहित ऋण सीमा को ₹5 लाख से ₹10 लाख तक अनिवार्यतः दुगुना करना तथा बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आदेश देना कि वे सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु शाखा स्तर के पदाधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें तथा इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को अपने फील्ड स्टाफ आदि के मूल्यांकन में एक मापदंड बनाने के लिए सभी बैंकों को सूचित किया गया है। उक्त हेतु सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 6 मई 2010 का परिपत्र ग्राआऋवि. एसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.79/06.02.31/2009-10 जारी किया गया है।

अनुबंध - I

भारत में एसएमई समूहों की सूची (यूएनआइडीओ द्वारा पहचाने गए)

क्रम सं.	राज्य	जिला	स्थान	उत्पाद
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	रायादुर्ग	सिले-सिलाए वस्त्र
2	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	चित्रदुर्ग	जीन्स के कपड़े
3	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	नगरी	पावरलूम
4	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	वेंटीमाल्टा, श्रीकालहस्ती, चुंदूर	पीतल के बर्तन
5	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	पूर्व गोदावरी	चावल मिल
6	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	राजमंदरी	ग्रेफाइट क्रूसिब्लस
7	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	पूर्व गोदावरी	कोयर और कोयर उत्पाद
8	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	राजमंदरी	अल्युमिनियम के बर्तन
9	आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी	पूर्व गोदावरी (पूगो) और पश्चिम गोदावरी	रिफ्रेक्टरी उत्पाद
10	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	गूंटूर	पावरलूम
11	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	गूंटूर	नींबू काल्सीनेशन
12	आंध्र प्रदेश	गूंटूर	मचेरला	लकड़ी का फर्नीचर
13	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	छत के पंखे
14	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	इलैक्ट्रानिक सामान
15	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	फार्मास्युटिकल्स - दवाएं
16	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुशीराबाद	चमड़े की टेनिंग
17	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	हेंड पम्प सेट
18	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद	फाउंड्री
19	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	सिरसिला	पावरलूम
20	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	मछलीपट्टनम	सोने की परत और इमिटेशन आभूषण
21	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	विजयवाड़ा	चावल मिल
22	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	चुंदुर, कवाडिगुडा, चारमिनार, विजयवाड़ा	स्टील फर्नीचर
23	आंध्र प्रदेश	करनूल	अडोनी	तेल मिल
24	आंध्र प्रदेश	करनूल	करनूल	बनावटी हीरे
25	आंध्र प्रदेश	करनूल, कडप्पा	करनूल (बनागनापल्ली, बेथामचेरिया, कोलीमीगुड़ला, कडप्पा)	पॉलिश किए स्लेब
26	आंध्र प्रदेश	प्रकासम	मरकापुरम	पत्थर की स्लेट

27	आंध्र प्रदेश	रंगा रेड्डी	बालनगर, जेड्डीमेटला और कुक्टपल्ली	मशीन औजार
28	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	पालसा	काजू प्रसंस्करण
29	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम, पूर्व गोदावरी	विशाखापट्टनम, काकीनाडा	समुद्री खाद्य
30	आंध्र प्रदेश	वारंगल	वारंगल	पावरलूम
31	आंध्र प्रदेश	वारांगल	वारंगल	ब्रासवेयर
32	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	पश्चिम गोदावरी	चावल मिल
33	बिहार	बेगुसराई	बरौनी	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
34	बिहार	मुज्जफरपुर	मुज्जफरपुर	खाद्य उत्पाद
35	बिहार	पटना	पटना	पीतल और जर्मन चांदी के बर्तन
36	छत्तीसगढ़	दुर्ग, राजनंदगाव, रायपुर	दुर्ग, राजनंदगाव, रायपुर	स्टील री-रोलिंग
37	छत्तीसगढ़	दुर्ग, रायपुर	दुर्ग, रायपुर	ढलाई और धातु की वस्तुएं बनाना
38	दिल्ली	उत्तरी पश्चिम दिल्ली	वजीरपुर,बादली	स्टेनलेस स्टील के बर्तन और छुरी-कांटा
39	दिल्ली	दक्षिण और पश्चिम दिल्ली	ओखला, मायापुरी	रसायन
40	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नारैना और ओखला	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
41	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नारैना और ओखला	इलेक्ट्रानिक सामान
42	दिल्ली	उत्तर दिल्ली	लॉरेन्स रोड	खाद्य उत्पाद
43	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	ओखला, वजीरपुर फ्लेटेड फैक्ट्रीस संकुल	चमड़ा उत्पाद
44	दिल्ली	दक्षिण, पश्चिम दिल्ली	ओखला, मायापुरी, आनंद पर्बत	मेकॅनिकल इंजीनियरिंग उपकरण
45	दिल्ली	पश्चिम, दक्षिण, पूर्व दिल्ली	नरैना, ओखला, पतपरगंज	पैकेजिंग सामान
46	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना और ओखला	कागज उत्पाद
47	दिल्ली	पश्चिम और दक्षिण दिल्ली	नरैना उद्योग नगर और ओखला	प्लास्टिक उत्पाद
48	दिल्ली	पश्चिम, दक्षिण, उत्तर-पश्चिम दिल्ली	नरैना, ओखला, शिवाजी मार्ग, नज़ाफगढ़ मार्ग	रबड़ उत्पाद
49	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली	शहादरा और विश्वासनगर	तार लगाना
50	दिल्ली	पश्चिम और उत्तर पश्चिमी	मायापुरी और वजीरपुर	धातु की वस्तुएं बनाना
51	दिल्ली	पश्चिम और उत्तर पूर्वी	किर्तीनगर और तिलक नगर	फर्नीचर
52	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली	वजीरपुर	इलैक्ट्रो प्लेटिंग

53	दिल्ली	दक्षिण, पश्चिम, उत्तरी पश्चिम और उत्तर पश्चिमी	ओखला, मायापुरी, नरैना, वजीरपुर बदली और जीकरनल रोड.टी.	ऑटो कम्पोनेन्ट
54	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्व दिल्ली और दक्षिण	शाहदरा, गांधीनगर, ओखला और मैदानगड़ी	होज़यरी
55	दिल्ली	दक्षिण और उत्तर पूर्वी	ओखला और शाहदरा	सिले-सिलाए वस्त्र
56	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	ओखला	सेनिटरी फिटिंग
57	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	फार्मास्युटिकल्स
58	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	डाय और इंटरमीडिएट्स
59	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	प्लास्टिक की ढलाई का सामान
60	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	सिले-सिलाए वस्त्र
61	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे
62	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद, धनडुका	हीरा प्रसंस्करण
63	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	मशीन उपकरण
64	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	ढलाई
65	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	स्टील के बर्तन
66	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	लकड़ी का उत्पाद और फर्नीचर
67	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	कागज़ के उत्पाद
68	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	चमड़े के चप्पल जूते
69	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	धुलाई का पावडर और साबुन
70	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	संगमरमर के पट्टे
71	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	बिजली से चलने वाले पम्प
72	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	इलेक्ट्रॉनिक सामान
73	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद	ऑटो पूर्जे
74	गुजरात	अमरेली	सावरकुंडला	वज़न और माप
75	गुजरात	अमरेली, जुनागढ़, राजकोट	अमरेली, जुनागढ़, राजकोट बेल्ट	तेल मिल मशीनरी
76	गुजरात	भावनगर	अलंग	जहाज तोड़ना
77	गुजरात	भावनगर	भावनगर	स्टील री-रोलिंग
78	गुजरात	भावनगर	भावनगर	मशीन उपकरण
79	गुजरात	भावनगर	भावनगर	प्लास्टिक प्रसंस्करण
80	गुजरात	भावनगर	भावनगर	हीरा प्रसंस्करण
81	गुजरात	गांधीनगर	कालोल	पावरलूम

82	गुजरात	जामनगर	जामनगर	पीतल के पुर्जे
83	गुजरात	जामनगर	जामनगर	लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर
84	गुजरात	मेहसाणा	विज़ापुर	सूती कपड़े की बुनाई
85	गुजरात	राजकोट	धोराजी, गोंडल, राजकोट	तेल मिल
86	गुजरात	राजकोट	जेतपुर	टेक्सटाइल छपाई
87	गुजरात	राजकोट	मोरवी और वाकांनेर	फ्लोरिंग टाइल्स (क्ले)
88	गुजरात	राजकोट	मोरवी	दीवार की घड़ियां
89	गुजरात	राजकोट	राजकोट	डीज़ल इंजिन
90	गुजरात	राजकोट	राजकोट	इलेक्ट्रिक मोटर
91	गुजरात	राजकोट	राजकोट	ढलाई
92	गुजरात	राजकोट	राजकोट	मशीन उपकरण
93	गुजरात	राजकोट	राजकोट	हीरा प्रसंस्करण
94	गुजरात	सूरत	सूरत, चोरयासी	हीरा प्रसंस्करण
95	गुजरात	सूरत	सूरत	पावर लूम
96	गुजरात	सूरत	सूरत	लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर
97	गुजरात	सूरत	सूरत	टेक्सटाइल मशीनरी
98	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर और थानगढ़	सेरेमिक्स
99	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	छोटिला	सेनिटरी फिटिंग
100	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा	फार्मास्युटिकल दवाएँ
101	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा	प्लास्टिक प्रसंस्करण
102	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा	लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर
103	गुजरात	बलसाड़	पारदी	डाय और इंटरमीडिएट्स
104	गुजरात	बलसाड़/भरूच	वापी/अंकलेश्वर	रसायन
105	गुजरात	बलसाड़/भरूच	वापी/अंकलेश्वर	फार्मास्युटिकल दवाएं
106	गोवा	दक्षिण गोवा	मार्गो	फार्मास्युटिकल
107	हरियाणा	अंबाला	अंबाला	मिक्सी और ग्राइंडर
108	हरियाणा	अंबाला	अंबाला	वैज्ञानिक उपकरण
109	हरियाणा	भिवानी	भिवानी	पावरलूम
110	हरियाणा	भिवानी	भिवानी	स्टोन क्रशिंग
111	हरियाणा	फरिदाबाद	फरिदाबाद	ऑटो पूर्जे
112	हरियाणा	फरिदाबाद	फरिदाबाद	इंजीनियरिंग क्लस्टर
113	हरियाणा	फरिदाबाद	फरिदाबाद	पत्थर तोड़ना
114	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	ऑटो पूर्जे
115	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	इलेक्ट्रानिक सामान

116	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
117	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	सिले-सिलाए कपड़ें
118	हरियाणा	गुड़गांव	गुड़गांव	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
119	हरियाणा	कैथल	कैथल	चावल मिल
120	हरियाणा	कर्नाल	कर्नाल	कृषि उपकरण
121	हरियाणा	कर्नाल, कुरुक्षेत्र, पानिपत	कर्नाल, कुरुक्षेत्र, पानिपत	चावल मिल
122	हरियाणा	पंचकुला	पिंजोर	इंजीनियरिंग उपकरण
123	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला	पत्थर तोड़ना
124	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	पावरलूम
125	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	शोडी यार्न
126	हरियाणा	पानिपत	समलखा	फाउंड्री
127	हरियाणा	पानिपत	पानिपत	सूती कातना
128	हरियाणा	रोहतक	रोहतक	नट्स/बोल्ट्स
129	हरियाणा	यमुना नगर	यमुना नगर	प्लाई वुड/ बोर्ड/ ब्लैक बोर्ड
130	हरियाणा	यमुना नगर	जगध्री	बर्तन
131	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु और सिरमौर	कुल्लु और सिरमौर	खाद्य प्रसंस्करण
132	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	दमतल	पत्थर तोड़ना
133	हिमाचल प्रदेश	सोलन	परवानु	इंजीनियरिंग उपस्कर
134	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	अनंतनाग	क्रिकेट बेट
135	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू	स्टील रिरोलिंग-
136	जम्मू और कश्मीर	जम्मू / कथुवा	जम्मू / कथुवा	तेल मिल
137	जम्मू और कश्मीर	जम्मू / कथुवा	कथुवा	चावल मिल
138	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर	टिम्बर जोयनरी / फर्नीचर
139	झारखंड	सारीकेलाखरसावन-	आदित्यपुर	ऑटो पुर्जे
140	झारखंड	पूर्व सिंहभूम	जमशेदपुर	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
141	झारखंड	बोकारो	बोकारो	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
142	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	मशीन उपकरण
143	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	पावरलूम
144	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	इलेक्ट्रानिक सामान
145	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	सिले-सिलाए वस्त्र
146	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	लाइट इंजीनियरिंग
147	कर्नाटक	बंगलूर	बंगलूर	चमड़े के उत्पाद

148	कर्नाटक	बेलगांव	बेलगांव	फाउंड्री
149	कर्नाटक	बेलगांव	बेलगांव	पावरलूम
150	कर्नाटक	बेल्लरी	बेल्लरी	जीन्स गारमेंट
151	कर्नाटक	बिजापुर	बिजापुर	तेल मिल
152	कर्नाटक	धारवाड़	हुबली, धारवाड़	कृषि उपकरण और ट्रेक्टर ट्रेलर
153	कर्नाटक	गडग	गडग बेटगीरी	पावरलूम
154	कर्नाटक	गुलबर्गा	गुलबर्गा गडग बेल्ट	दाल मिल
155	कर्नाटक	हसन	आरसिकारा	कोयर और कोयर उत्पाद
156	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर	खाद्य उत्पाद
157	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर	रेशम
158	कर्नाटक	रायचुर	रायचुर	चमड़ा उत्पाद
159	कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	चावल मिल
160	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	मंगलूर	खाद्य उत्पाद
161	केरल	अलपुज्जा	अलपुज्जा	कोयर और कोयर उत्पाद
162	केरल	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	रबड़ उत्पाद
163	केरल	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	पावरलूम
164	केरल	एर्नाकुलम	कोच्ची	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण
165	केरल	कन्नूर	कन्नूर	पावरलूम
166	केरल	कोल्लम	कोल्लम	कोयर और कोयर उत्पाद
167	केरल	कोट्टायम	कोट्टायम	रबड़ उत्पाद
168	केरल	मल्लापुरम	मल्लापुरम	पावरलूम
169	केरल	पालक्काड	पालक्काड	पावरलूम
170	केरल		फैजलूर	पावरलूम
171	महाराष्ट्र	अहमदनगर	अहमदनगर	ऑटो पूर्जे
172	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला	तेल मिल (सूती बीज)
173	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला	दाल मिल
174	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	ऑटो पुर्जे
175	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	फार्मास्युटिकल्स - दवाएं
176	महाराष्ट्र	भंडारा	भंडारा	चावल मिल
177	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर	छत की टाइल्स
178	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर	चावल मिल
179	महाराष्ट्र	धुले	धुले	मिर्ची पाउडर
180	महाराष्ट्र	गडचिरोली	गडचिरोली	ढलाई
181	महाराष्ट्र	गडचिरोली	गडचिरोली	चावल मिल
182	महाराष्ट्र	गोंदिया	गोंदिया	चावल मिल
183	महाराष्ट्र	जलगांव	जलगांव	दाल मिल
184	महाराष्ट्र	जलगांव	जलगांव	कृषि औजार

185	महाराष्ट्र	जालना	जालना	इंजीनियरिंग उपकरण
186	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	डीज़ल इंजीन
187	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	फाउंड्री
188	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इचलकरंजी	पावरलूम
189	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	इलेक्ट्रॉनिक सामान
190	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	फार्मास्युटिकल - दवाएं
191	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	खिलौने (प्लास्टिक)
192	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	सिले-सिलाए कपड़े
193	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	होजियरी
194	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	मशीन उपकरण
195	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	इंजीनियरिंग उपस्कर
196	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	रसायन
197	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	पैकेजिंग सामग्री
198	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	हाथ के औजार
199	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई	प्लास्टिक उत्पाद
200	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	पावरलूम
201	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन
202	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	स्टील फर्नीचर
203	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर (बुटीबोरी)	सिले-सिलाए वस्त्र
204	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	हाथ के औजार
205	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर	खाद्य प्रसंस्करण
206	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड़	दाल मिल
207	महाराष्ट्र	नाशिक	मालेगांव	पावरलूम
208	महाराष्ट्र	नाशिक	नाशिक	स्टील फर्नीचर
209	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	ऑटो पुर्जे
210	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	इलेक्ट्रॉनिक सामान
211	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	खाद्य उत्पाद
212	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	सिले-सिलाए वस्त्र
213	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	फर्मास्युटिकल्स दवाएं
214	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	फाइबर कांच
215	महाराष्ट्र	रत्नागिरी	रत्नागिरी	कैन्ड और प्रस्संकृत मछली
216	महाराष्ट्र	सांगली	सांगली	एमएस रॉड
217	महाराष्ट्र	सांगली	माधवनगर	पावरलूम
218	महाराष्ट्र	सातारा	सातारा	चमड़ा टैनिंग
219	महाराष्ट्र	सोलापुर	सोलापुर	पावरलूम
220	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग	काजू प्रसंस्करण

221	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग	कॉपर परत वाले वायर
222	महाराष्ट्र	थाने	भिवंडी	पावरलूम
223	महाराष्ट्र	थाने	कल्याण	कॉनफेक्शनरी
224	महाराष्ट्र	थाने	वाशिंद	रसायन
225	महाराष्ट्र	थाने	तारापुर, थाने-बेलापुर	फार्मास्युटिकल्स दवाएं
226	महाराष्ट्र	थाने	थाने	समुद्री खाद्य
227	महाराष्ट्र	वरधा	वरधा	पिघलने वाला तेल
228	महाराष्ट्र	यवतमाल	यवतमाल	दाल मिल
229	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल	इंजीनियरिंग उपस्कर
230	मध्य प्रदेश	देवास	देवास	इलेर्टिकल सामान
231	मध्य प्रदेश	पूर्व निमार	बृहनपुर	पावरलूम
232	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	फार्मास्युटिकल दवाएं
233	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	सिल-सिलाए वस्त्र
234	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर	खाद्य प्रसंस्करण
235	मध्य प्रदेश	इंदौर	पिथमपुर	ऑटो पुर्जे
236	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	सिले-सिलाए वस्त्र
237	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	पावरलूम
238	मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन	पावरलूम
239	उड़ीसा	बलनगिर	बलनगिर	चावल मिल
240	उड़ीसा	बलसोर	बलसोर	चावल मिल
241	उड़ीसा	बलसोर	बलसोर	पावरलूम
242	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	चावल मिल
243	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	रसायन और फार्मास्युटिकल्स
244	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक (जगतपुर)	इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन
245	उड़ीसा	कट्टक	कट्टक	मसाले
246	उड़ीसा	धेनकनल	धेनकनल	पावरलूम
247	उड़ीसा	गंजम	गंजम	पावरलूम
248	उड़ीसा	गंजम	गंजम	चावल मिल
249	उड़ीसा	कोरापत	कोरापत	चावल मिल
250	उड़ीसा	पूरी	पूरी	चावल मिल
251	उड़ीसा	सम्बलपुर	सम्बलपुर	चावल मिल
252	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	चावल मिल
253	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	शॉडी यार्न
254	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर	पावरलूम
255	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	मंडी गोविंदगढ़	स्टील री-रोलिंग
256	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला	मशीन उपकरण

257	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला, गुरदासपुर	चावल मिल
258	पंजाब	गुरदासपुर	बटाला	कास्टिंग और फोरजिंग
259	पंजाब	जलंधर	जलंधर	खेल का सामान
260	पंजाब	जलंधर	जलंधर	कृषि उपकरण
261	पंजाब	जलंधर	जलंधर	हाथ के औजार
262	पंजाब	जलंधर	जलंधर	रबड़ का सामान
263	पंजाब	जलंधर	करतारपुर	लकड़ी का फर्नीचर
264	पंजाब	जलंधर	जलंधर	चमड़े का टेनिंग
265	पंजाब	जलंधर	जलंधर	चमड़े की चप्पल
266	पंजाब	जलंधर	जलंधर	शल्य उपकरण
267	पंजाब	कपुरथला	कपुरथला	चावल मिल
268	पंजाब	कपुरथला	फगवाड़ा	डिज़ल इंजीन
269	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	ऑटो उपकरण
270	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	बाइसिकल के पुर्जे
271	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	हौजयरी
272	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	सिलाई एम/सी उपकरण
273	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	औद्योगिक फास्टनर्स
274	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	हाथ के औजार
275	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	मशीन उपकरण
276	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	फोर्जिंग
277	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना	इलेक्ट्रोप्लेटिंग
278	पंजाब	मोगा	मोगा	गेहूँ थ्रेशर
279	पंजाब	पटियाला	पटियाला	कृषि उपकरण
280	पंजाब	पटियाला	पटियाला	काटने के उपकरण
281	पंजाब	संगरूर	संगरूर	चावल मिल
282	राजस्थान	अल्वर, एसमाधोपुर., भरतपुर	अल्वर, एसमाधोपुर., भरतपुर बेल्ट	तेल मिल
283	राजस्थान	अजमेर	किशनगढ़	संगमरमर के पट्टे
284	राजस्थान	अजमेर	किशनगढ़	पावरलूम
285	राजस्थान	अल्वर	अल्वर	रसायन
286	राजस्थान	बिकानेर	बिकानेर	पापड़ मंगोड़ी, नमकीन
287	राजस्थान	बिकानेर	बिकानेर	प्लास्टर ऑफ पेरिस
288	राजस्थान	दौसा	महुआ	सेंड स्टोन
289	राजस्थान	गंगानगर	गंगानगर	खाद्य प्रसंस्करण
290	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	हीरे और जवाहरात
291	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	बॉल बेरिंग
292	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपकरण

293	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	खाद्य उत्पाद
294	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	वस्त्र
295	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	नींबू
296	राजस्थान	जयपुर	जयपुर	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण
297	राजस्थान	झालवर	झालवर	संगमरमर के पट्टे
298	राजस्थान	नगौर	नगौर	हाथ के औजार
299	राजस्थान	सिकर	शिखावटी	लकड़ी का फर्नीचर
300	राजस्थान	सिरोही	सिरोही	संगमरमर के पट्टे
301	राजस्थान	उदयपुर	उदयपुर	संगमरमर के पट्टे
302	तमिलनाडु	चैन्नै	चैन्नै	ऑटो पूर्जे
303	तमिलनाडु	चैन्ने	चैन्ने	चमड़े के उत्पाद
304	तमिलनाडु	चैन्ने	चैन्ने	इलेक्ट्रोप्लेटिंग
305	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	डीज़ल इंजीन
306	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	कृषि उपकरण
307	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	तिरुपुर	हौजरी
308	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	मशीन उपकरण
309	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	कास्टिंग और फोर्जिंग
310	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर, पालादम, कन्नम पालयम	पावरलूम
311	तमिलनाडु	कोयम्बतुर	कोयम्बतुर	गिली पिसाई की मशीनें
312	तमिलनाडु	इरोड	सुरामपट्टी	पावरलूम
313	तमिलनाडु	करुर	करुर	पावरलूम
314	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	सिले-सिलाए वस्त्र
315	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	चावल मिल
316	तमिलनाडु	मदुराई	मदुराई	दाल मिल
317	तमिलनाडु	नमक्कल	थिरूचेनगोडे	रिग्स
318	तमिलनाडु	सालेम	सालेम	सिले-सिलाए वस्त्र
319	तमिलनाडु	सालेम	सालेम	स्टार्च और सेगो
320	तमिलनाडु	तंजवुर	तंजवुर	चावल मिल
321	तमिलनाडु	त्रिचुरापल्ली	त्रिचुरापल्ली	इंजीनियरिंग उपकरण
322	तमिलनाडु	त्रिचुरापल्ली	त्रिचुरापल्ली (ग्रामीण)	आर्टिफिशियल हीरे
323	तमिलनाडु	टुटिकोरिन	कोविलपति	सेफ्टी मैचेस
324	तमिलनाडु	वेल्लुर	अंबुर, वनियमबड़ी, पलार वेली	चमड़ें का टैनिंग
325	तमिलनाडु	विरधुनगर	राजपलायम	सूती मिल (गेज़ कपड़ा)
326	तमिलनाडु	विरधुनगर	विरुधनगर	टिन कंटेनर
327	तमिलनाडु	विरधुनगर	शिवकासी	प्रिंटिंग

328	तमिलनाडु	विरधुनगर	शिवकासी	माचिस और पटाखे
329	तमिलनाडु	विरधुनगर	श्रीवल्लीपुथुर	टोइलेट साबून
330	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	फाउंड्री
331	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	चमड़े के चप्पल-जूते
332	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
333	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	ब्रास और गनमेटल की मूर्तियां
334	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	ताले
335	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	भवन हार्डवेयर
336	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	माऊ	पावरलूम
337	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	माऊ एमा	चमड़े के उत्पाद
338	उत्तर प्रदेश	बांदा	बांदा	पावरलूम
339	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	खुरजा	सिरेमिक्स
340	उत्तर प्रदेश	फिरोज़ाबाद	फिरोज़ाबाद	कांच के उत्पाद
341	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	इलेक्ट्रानिक उत्पाद
342	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	खिलौने
343	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	रसायन
344	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
345	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	वस्त्र
346	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
347	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	पेकेजिंग सामान
348	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा	प्लास्टिक उत्पाद
349	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	रसायन
350	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर
351	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	पेकेजिंग सामान
352	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	पावरलूम
353	उत्तर प्रदेश	हथरस	हथरस	शीटवर्क (ग्लोब लैम्प)
354	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी	पावरलूम
355	उत्तर प्रदेश	कनौज	कनौज	परफ्यूमरी और एसेंशियल तेल
356	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	सैडेल्री
357	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	सूती हौजयरी
358	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर	चमड़े के उत्पाद
359	उत्तर प्रदेश	मिरठ	मिरठ	खेल उत्पाद

360	उत्तर प्रदेश	मिरठ	मिरठ	कैंची
361	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	मुरादाबाद	ब्रासवेयर
362	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर	चावल मिल
363	उत्तर प्रदेश	सहरानपुर	सहरानपुर	चावल मिल
364	उत्तर प्रदेश	सहरानपुर	सहरानपुर	लकड़ी का काम
365	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	शीटवर्क (ग्लोब लैम्प)
366	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	पावरलूम
367	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	कृषि उपकरण
368	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	बीजली का पंखा
369	उत्तरांचल	देहरादून	देहरादून	मिनियेचर वेक्यूम बल्ब
370	उत्तरांचल	हरिद्वार	रुरकी	सर्वे उपकरण
371	उत्तरांचल	उधम सिंह नगर	रुद्रपुर	चावल मिल
372	पश्चिम बंगाल	बंकुरा	बरजोरा	मछली पकड़ने का हुक (जानकारी बाकी)
373	पश्चिम बंगाल	एचएमसी और बाली मुनसिपल क्षेत्र	हावड़ा	फाउंड्री
374	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	बरगछिया, मानसिंहपुर, हंतल, शाहदत पुर और जगतबलावपुर	लॉक
375	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	एचएमसी और बाली मुनसिपल क्षेत्र सिवोक रोड	स्टील रि-रोलिंग
376	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	दोमजुर	नकली और सच्चे जवाहरात
377	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	कूच बिहार - I, तुफानगंज, माथाबंधा, मेखलीगंज	सितलपति/फर्नीचर
378	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	वेलींगटन, खानपुर	बिजली के पंखे
379	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सोवाबाज़ार, कोसीपुर	हौजयरी
380	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मेतियाबुर्ज, वार्ड नं. 138 से 141	सिले-सिलाए वस्त्र
381	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	तिलजला, टोपसिया, फूलबागान	चमड़े के उत्पाद
382	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दासपारा (उल्टाडांगा), अहीरीतोला	दाल मिल
383	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	तलताला, लेनिन, सारणी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग उपकरण
384	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बोबाज़ार, कालीघाट	लकड़ी के उत्पाद
385	पश्चिम बंगाल	नाडिया	मतियारी, धर्मादा, नाबाडविप	बेल/धातु के बर्तन
386	पश्चिम बंगाल	नाडिया	राजघाट	पावरलूम

387	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	जालदा प्रोपर, पुरूलिया, बेगुनकोदर और तानसी	हाथ के औजार
388	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	कल्याणपुर, पुरुंदरपुर, धोपागच्छी	शल्य संबंधी उपकरण

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय	पैराग्राफ सं.
1	विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.13/06.02.31/2021-22	07 जुलाई 2021	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा - खुदरा और थोक व्यापार का समावेश	2.3
2	मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21	04 सितंबर 2020	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण	3.1
3	विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.4/06.02.31/2020-21	21 अगस्त 2020	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा - स्पष्टीकरण	2.1-2.2 2.4-2.7
4	विसविवि.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21	2 जुलाई 2020	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह	
5	विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.10/06.02.31/2017-18	13/07/2017	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश - दस्तावेजों पर निर्भर होना	2.1
6	विसविवि.एफएलसी.बीसी.सं.22/12.01.018/2016-17	02/03/2017	एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा	5.4
7	विसविवि. एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16	17/03/2016	सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के	4.7

			पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए ढांचा	
8	विसविवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.60/06.02.31/2015-16	27/08/2015	माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनके 'जीवन चक्र' के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिए ऋण प्रवाह का सरलीकरण	4.5
9	ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.61/06.02.31/2013-14	02/12/2013	संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना	4.4
10	ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.74/06.02.31/2012-13	09/05/2013	एमएसई क्षेत्र को ऋण की वृद्धि पर निगरानी के लिए संरचित तंत्र	4.1, 4.8
11	ग्राआऋवि.कैंका.एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं. 40/06.02.31/2012-13	01/11/2012	रुग्ण माइक्रो (सूक्ष्म) और लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश	4.7
12	ग्राआऋवि. एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी. सं 20/06.02.31/2012-13	01/08/2012	माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र - वित्तीय साक्षरता और परामर्शी सहायता की अनिवार्यता	5.4
13	ग्राआऋवि. एमएसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.53/06.02.31/2011-12	04/01/2012	एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण आवेदन की प्राप्ति-सूचना जारी करना	4.1
14	ग्राआऋवि.एसएमई एण्ड एनएफएस सं.90/06.02.31/2009-10	29/06/2010	एमएसएमई पर प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशें	3.2, 6.5
15	ग्राआऋवि.एसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.79/06.02.31/2009-10	06/05/2010	माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) हेतु ऋण गारंटी योजना की समीक्षा	6.6

			के लिए कार्य-दल - एमएसई को संपार्श्विक रहित ऋण	
16	ग्राआऋवि.एसएमई एण्ड एनएफएस सं.9470/06.02.31(पी)/2009-10	11/03/2010	माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को संमिश्र ऋण स्वीकृति	4.3
17	ग्राआऋवि.एसएमई एंड एनएफएस सं.13657/06.02.31(पी)/2008-09	18/06/2009	पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तपोषित इकाईयों को संपार्श्विक रहित ऋण	4.2
18	ग्राआऋवि.एसएमई एण्ड एनएफएस सं.102/06.04.01/2008-09	04/05/2009	माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान कराना	6.4
19	ग्राआऋवि.एसएमई एण्ड एनएफएस सं.12372/06.02.31(पी)/2007-08	23/05/2008	ऋण सहलग्न पूंजी सब्सिडी योजना	
20	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.सं.63/06.02.31/2006-07	04/04/2007	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना - माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 लागू करना	5.6
21	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.28/06.02.21(डब्लूजी)/2004-05	04/09/2004	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता पर कार्यकारी दल	6.3
22	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.39/06.02.80/2003-04	03/11/2003	लघु उद्योग को ऋण सुविधाएं - संपार्श्विक मुक्त ऋण	4.2
23	डीबीओडी.सं.बीएल.बीसी. 74/22.01.001/2002	11/03/2002	सामान्य बैंकिंग शाखाओं का विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तन	5.1

24	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.61/06.02.62/2000-01	02/03/2001	नायक समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन - बैंकों द्वारा की गई प्रगति - विशेषीकृत एसएसआई शाखाओं का अध्ययन	6.2
25	आईसीडी.सं.5/08.12.01/2000-01	16/10/2000	लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता- मंत्रियों के समूह का निर्णय	5.6
26	ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. बीसी.22/06.02.31(ii)–98/99	28/08/1998	लघु उद्योग पर उच्च स्तरीय समिति -कपूर समिति- सिफारिशों का कार्यान्वयन	6.1